



2026:AHC:50752

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3013 वर्ष 2026

त्रिभुवन प्रसाद द्विवेदी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : फैजान सिद्दीकी, इरफान अहमद मलिक, प्रतिभा ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने 26.02.2026 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें तत्पश्चात इस मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की गई थी। आज कमांडेंट चौथी बटालियन, प्रयागराज के हस्ताक्षर के अंतर्गत दिनांक 09.03.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है और 'परिशिष्ट ए' के रूप में अंकित किया गया है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 1984 में उसका चयन कांस्टेबल के पद पर हुआ था, जिसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता का मूल वेतन 64,100/- रुपये था, जिसे रिट याचिकाकर्ता के मुताबिक घटाकर 60,400/- रुपये कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 31.07.2024 को सेवानिवृत्त हुआ है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, अब वेतन का पुनःनिर्धारण किया गया है जिसमें रिट याचिकाकर्ता के वेतनमान को 64,100/- रुपये से घटाकर 60,400/-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रुपये कर दिया गया है। यह कार्रवाई रिट याचिकाकर्ता को कोई सूचना दिए बिना और कोई आदेश पारित किए बिना की गई है।

4. निर्देश भेज दिए गए हैं, जिनके अनुसार, अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व रिट याचिकाकर्ता ने एक अनौपचारिक आदेश प्रस्तुत किया था और उसी आधार पर वेतनमान कम कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता इस बात पर आपत्ति जताता है।

5. प्रस्तुत याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम निस्तारण तीसरे प्रतिवादी कमांडेंट, चौथी बटालियन पीएसी, प्रयागराजद्वारा किया जाना आवश्यक है।

7. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

8. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे; और तीसरा प्रतिवादी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा, तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए उस पर निर्णय देगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

9. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।